फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर

बनाम

वादी — प्रतिवादी

मा संख्या / वर्ष — प्रार्थना पत्र (नि.) / 20 07/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/4/22	पत्रावली अधिकारी श्री शमीकेश चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र 09R09 सपठित धारा 151 CPC पेश करने पर पेश हुई। पत्रावली पर सीमित की जावे। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया। उनके पास डायरी में अगली तारीख 18/5/22 दर्ज है तथा पत्रावली 14/5/22 को ले। 18/5/22 को नियत कीजावे एवं 18/5/22 को अंतिम बहस और पेशी में वादिनियों का होना है जो पुनः नोटिस पर लिया कीजावे। प्रार्थी पर 09R09 सपठित धारा 151 CPC की सम्मन अवधि में वृद्धि की गई है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। इसके वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 09R09 सपठित धारा 151 CPC वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र 09R09 सपठित धारा 151 CPC समयावधि में वृद्धि किया गया है तथा वकील प्रार्थी ने आगे ध्यान रखने हेतु निवेदन किया है। कि वह आगे के समय पर उपस्थित होंगे। अतः प्रार्थना पत्र 09R09 सपठित धारा 151 CPC की न्यायहित में इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वह मूल प्रार्थना पत्र आगामी निर्धारित में अभियोजन की तामील हेतु सीट AID जारी प्रस्तावित। प्रार्थना पत्र मूल आदेश निर्धारित। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र [illegible] आदेश [illegible] दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:12 IST
Reason: SelfAttested

अर्शदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम